

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, जनवरी 6, 1977/पौष 16, 1898

No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1977/PAUSA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 6th January 1977

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts anhydrous ammonia, falling within Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of fertilizers from—

- (i) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act

2 This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1980

[No 4/F. No 355/175/76-Cus I(M)]

राजस्व और बीमा विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 7(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 में सम्मिलित निर्जल अमोनिया को, जब उसका आयात उर्वरकों के निर्माण में उपयोग के लिए किया जाए, निम्नलिखित में छूट देती है —

- (i) उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क और
- (ii) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क ।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[स० 4/का० स० 355/175/76-सी० शु० I/(एम)]

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts anhydrous ammonia, falling within Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of fertilizers from payment of the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

[No. 5/F No 355/175/76-Cus I (M)]

M JAYARAMAN, Under Secy

सा० का० नि० 8(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 65) की धारा 32 की उपधारा 4 के माध्य पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अन्तर्गत सम्मिलित निर्जल अमोनिया को, जब उसका आयात उर्वरकों के निर्माण में उपयोग के लिए किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण महायक सीमाशुल्क से छूट देती है ।

[स० 5/का० स० 355/175/76-सी० शु० I/(एम)]

एम० जयरामन अव्वर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977